आज दिनाक 22/10/1 01 वालिल)


अधिनियम 1867 9 अपराध का दोषी पाते आरोपी/गण को की बारा 4 (क) के तहत स्टब्ब्य स्वीकाराधित के हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता ह रविकार सार्वाकृति 3 MEIR अधार पर दबक

四 दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण..... दोषसिदि अभितिखत नहीं दण्ड के प्रश्न पर विचार किया नया। आरोपी क है। अत आरोपी की सस्वीकृति 7-5 एव अपराध 西でん SHEE 5 됬

5 北 अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाव सिद्धदोष 200 सार्वज नेक ^띰라 ... रुपये 음 अधिनियम 1867 쎩 (प्रत्येक अभियुक्त क न्यायालय **उ**ट्टन 와 धारा 4 100 लिय) 51 53 के अर्थदण्ड 위 अवधि की तहत दण्डनीय अपराध से दण्डित सजा िकवा PE 51 जाता अथदण्ड

03. राजसात् की जाये तथा जप्तसुदा मूल्यहोन के आदेश का पालन हो। व्ययनित की जाये। सम्पत्तियों के सबध आभयुक्तगण 出 जलशुदा 11 Aller Partie समात निवड़ में रिसेट अर्पाल की दशा में मान्नीय अपीलीय 7887 अपील अवधि 의 न्यायालव URAH

निर्देशन पर टिकित



CHEST

THE PER